प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, जालोर थाना:– सीपीएस जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 28/22 दिनांक 01/2/22
2. (1) अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) 2018 धाराये :– 7
(2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये :– 120बी भादस
(3) अधिनियम .... धाराये :–........................
(4) अन्य अधिनियम व धाराये :– ....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 04 समय 12:00 P.M
(ब) अपराध के घटने का दिन :– **गुरूवार, दिनांक 09.12.2021**
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक:– **09.12.2021, समय 11.30 ए0एम0**
4. सूचना की किस्म :– **लिखित टाईपशुदा**
5. घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से उत्तर में, करीब 150 कि.मी. दूर।**
(ब) पता :– **कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भूविज्ञान विभाग जोधपुर जोन, जोधपुर**
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. **परिवादी / सूचनाकर्त्ता**
श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत उम्र 41 वर्ष निवासी बांदनवाडी तहसील आहोर जिला जालोर।
7. **ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियो सहित :–**
   1. **श्री मोहनलाल भाटी पुत्र श्री चेलाराम भाटी उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट लालराई, वाया मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली हाल अतिरिक्त निदेशक (खान) खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर–जोन, जोधपुर।**
   2. **श्रीमति राजेश्वरी गहलोत पुत्र श्री सम्पतसिंह सोलंकी उम्र 56 वर्ष निवासी 9बी, देवी सिंह का हत्था, सत्तीमाता के थान के पास, रातानाडा जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान) जोधपुर।**
8. परिवादी / सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–........................
10. चुराई हुई / लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य ....
11. पंचनामा / यूडी केस संख्या (अगर हो तो)........................
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट ....

महोदय,

हालात इस प्रकार है कि दिनांक 09.12.2021 को वक्त 11.30 ए0एम0 पर परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह पुत्र श्री उदयसिंह जाति राजपूत उम्र 41 वर्ष निवासी बांदनवाडी तहसील आहोर जिला जालोर ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महावीरसिंह राणावत, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जालोर के समक्ष उपस्थित उपरोक्त टाईपशुदा रिपोर्ट पेश की। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट को पढकर रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों के बारे में परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह से तसल्ली से पूछा गया तो परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह ने बताया कि मुझ प्रार्थी के ईशबोरजी महादेव स्टोन नाम की एक फर्म है जिसमें मैं व श्री नरपतसिंह दो भागीदार है। हमारे द्वारा सनपुर ग्राम जिला सिरोही में ग्रेनाईट खान लीज हेतु प्रार्थना पत्र सिरोही खनिज विभाग में पेश किया हुआ था। उक्त खान का समस्त सत्यापन खनिज विभाग सिरोही द्वारा नियमानुसार पूर्ण कर आगामी कार्यवाही खान लीज सेक्शन हेतु एडीएम माईनिंग विभाग जोधपुर को पत्रावली भेजी गई थी। जिस पर मैं दिनांक 17.11.2021 को एडीएम माईनिंग विभाग जोधपुर के कार्यालय में गया तथा श्री मोहन लाल भाटी एडीएम माईनिंग से मिला तथा मेरी फाईल सेक्शन हेतु निवेदन किया तो उन्होनें मुझे बिना खर्चे के खान स्वीकृत नही होने व अपने अधीनस्थ कार्यरत श्रीमति राजेश्वरी मैडम से सम्पर्क करने हेतु कहा तो मैं उसी समय श्रीमति राजेश्वरी मैडम से मिला तो उन्होनें हमारी खान की लीज हेतु एक लाख रूपये रिश्वत की मांग की। मैं मेरे जायज कार्य के लिए श्री मोहनलाल भाटी एडीएम माईनिंग व श्रीमति राजेश्वरी को रिश्वत नही देना चाहते है। उन्हे रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहते है। मेरा श्री मोहन लाल भाटी एडीएम माईनिंग व श्रीमति राजेश्वरी से आपस में कोई लेन देन बकाया नही है एवं न ही कोई आपसी रंजिश है। उनके विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी ने यह टाईपशुदा रिपोर्ट अपने किसी विश्वसनीय ईमित्र सेन्टर से टाईप करवाना बताया तथा उक्त रिपोर्ट पर स्वयं के हस्ताक्षर भी होना बताया तथा रिपोर्ट में लिखे सभी तथ्य सही होना बताया। परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से गोपनीय सत्यापन करवाने का निर्णय लिया गया। परिवादी ने यह भी बताया कि मैं मेरी खान लीज की सेक्शन हेतु चार–पांच बार चक्कर काट चुका हूं। मुझे श्री मोहन लाल भाटी एडीएम माईनिंग व उनकी पीए श्रीमति राजेश्वरी बार–बार कोई कमी का बहाना लेकर चक्कर कटवाते है तथा रिश्वत की मांग करते है।

परिवादी की रिपोर्ट में अंकित तथ्य एवं उसके कथनों से मामला लोक सेवक द्वारा वैद्य कार्य के लिये रिश्वत की मांग करना प्रथम दृष्टिया भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 की परिभाषा में आने से प्रथमतः रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होने से उसी रोज कानि0 श्री विक्रमसिंह नं0 556 को परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह के साथ रिश्वती राशि मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु खान विभाग जोधपुर रवाना किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 09.12.2021 को ही वक्त 07.10 पी0एम0 पर रिश्वती राशि मांग सत्यापन में गये हुये श्री विक्रमसिंह कानि0 व परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह कार्यालय में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आये। श्री विक्रमसिंह कानि0 ने डिजीटल टेप रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुऐ बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार आज दिनांक 09.12.2021 को ब्यूरो कार्यालय से परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह के साथ रवाना होकर करीबन 03.00 पीएम पर कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान विभाग जोधपुर के पास पहुंचा। जहां परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह ने अपने स्तर पर श्री मोहन लाल भाटी एडीएम माईनिंग व उनकी पीए श्रीमति राजेश्वरी की

उपस्थिति के बारे में मालूमात की तो ज्ञात हुआ कि एडीएम साहब व उनकी पीए कार्यालय में ही उपस्थित है। जिस पर परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह को कार्यालय का डिजीटल टेप रिकार्डर ऑन कर सुपुर्द कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप करने हेतु खान विभाग जोधपुर के लिये रवाना किया गया तथा मन् कानि0 उक्त कार्यालय के आस पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह के आने के इन्तजार में व्यस्त रहा। तत्पश्चात् काफी देर बाद परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह ने माईनिंग विभाग जोधपुर के बाहर गोपनीय स्थान पर आकर डिजीटल टेप रिकार्डर मन् कानि0 को सुपुर्द किया। जिस पर मेरे द्वारा उक्त डिजीटल टेप रिकार्डर को स्वीच ऑफ कर अपने कब्जे में रखा। परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह ने मुझे बताया कि मैं खान विभाग जोधपुर में स्थित अतिरिक्त निदेशक खान विभाग जोधपुर के कार्यालय में पहुंचा तो श्री मोहनलाल भाटी एडीएम साहब अपने चेम्बर में ही मौजूद थे। जिस पर मेरे द्वारा श्री मोहनलाल भाटी एडीएम साहब को अपना नाम व पहचान देते हुए मेरी सनपुर सिरोही में स्थित माईनस की लीज सेंक्शन के आदेश हेतु कहा तो उन्होनें कहा कि फाईल मैडम को दे दो। जिस पर मेरे द्वारा कहा गया कि फाईल तो एक महीने पहले दीपावली पर ही दे दी थोडी कमी थी वो पुरी करवा दी। मेरे द्वारा श्री मोहनलाल एडीएम साहब को थोडा हिसाब व सिस्टम से करने हेतु कहा तो उन्होने ठीक है कह देता हूं कह कर अपनी सहमति प्रकट की तथा मेरे सामने ही अपने कार्यालय कक्ष में पीए श्रीमति राजेश्वरी मैडम को बुलाया तथा कहा कि इनका देख लेना निकाल देना ठीक ठाक कोई ज्यादा नही ठीक है। जिस पर मैडम श्रीमति राजेश्वरी ने ठीक है कह कर सहमति दी। तत्पश्चात् मैं पीए श्रीमति राजेश्वरी मैडम के साथ उनके कक्ष में गया तथा उन्हें मेरी खान लीज की सेक्शन हिसाब से निकालने का निवेदन किया तो उन्होनें एक लाख देने हेतु कहा तो मेरे द्वारा बहुत ज्यादा का तकाजा किया तथा मेरे द्वारा सत्तर हजार देने का फाईनल किया परन्तु उन्होने कहा कि कम होगें। तब मैनें कहा कि ज्यादा है खुब है मेरे विचार से तो उन्होनें कहा कि अस्सी अस्सी दे देना। साथ ही यह भी कहा कि अस्सी कर दो, इसमें साहब के, स्टॉफ के, डिस्पेच के, फिर पिओन के होगें। श्रीमति राजेश्वरी मैडम द्वारा उक्त रिश्वती राशि सोमवार को देने का कहा है। जिस पर मेरे द्वारा करवा देना मैं लेकर आता हूं कह कर मैं वहां से रवाना हो गया। उक्त वार्ता टेप रिकार्डर में रिकार्ड है। तत्पश्चात मैं व परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह खान विभाग जोधपुर से रवाना होकर आपके समक्ष उपस्थित आये है। तत्पश्चात् उपस्थित परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह ने भी कानि0 श्री विक्रमसिंह के कथनो की ताईद की। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने टेप रिकॉर्डर में रिकार्ड वार्तालाप को चालू कर सुना तो रिश्वती राशि अस्सी हजार की स्पष्ट मांग की पुष्टि होते हुये श्री विक्रमसिंह कानि व परिवादी के कथनों की ताईद हुई। जिस पर अग्रिम ट्रेप का आयोजन दिनांक 13.12.2021 को करने निर्णय लिया गया।

रिश्वती राशि मांग की पुष्टि होने पर दिनांक 13.12.2021 को स्वतन्त्र गवाहान श्री शत्रुधन शर्मा सहायक अभियन्ता व श्री दिलीप कुमार वाणिज्य सहायक प्रथम के रूबरू ट्रेप कार्यवाही का आयोजन कर परिवादी द्वारा प्रस्तुत 80,000 रूपये के नोटों पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगाकर नोटो के नंबर फर्द पेशकशी एवं सुपुदर्गी नोट में अंकित कर फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया का दृष्टान्त दिया जाकर दिनांक 13.12.2021 व 21.12.2021 को ट्रेप कार्यवाही के प्रयास किये गये किन्तु आरोपी श्री मोहनलाल भाटी एडीएम (माईनिंग) व सह आरोपिया श्रीमति राजेश्वरी मैडम पीए से रिश्वती राशि का आदान प्रदान नहीं हो सका।

तत्पश्चात् परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह एवं आरोपी श्री मोहनलाल भाटी एडीएम (माईनिंग) व श्रीमति राजेश्वरी मैडम पीए के मध्य हुई रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं रिश्वती राशि लेन–देन पूर्व वार्ता जो कार्यालय के डिजीटल टेप रिकार्डर में रिकार्ड है।

उक्त वार्ताओ को रूबरू मौतबिरान एवं परिवादी के समक्ष सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांस्क्रिप्ट रिश्वती राशि मांग सत्यापन मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। वार्तालाप की कार्यालय के लेपटॉप के माध्यम से दो–दो सीडीया तैयार की गई एक–एक को मूल मानते हुऐ कपडे की थेली में डालकर सील मोहर कर थेली पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये एवं दुसरी दोनों सीडीयों को डब मानते हुऐ खुली रखी गई। उक्त दोनों सी. डी. को मालखाना प्रभारी श्री सुखाराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई।

दिनांक 24.12.2021 वक्त 12.30 पी0एम0 पर परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह ब्यूरो कार्यालय जालोर में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित आया एवं बताया कि मैनें दिनांक 21.12.2021 के पश्चात श्री मोहनलाल एडीएम माईनिंग व श्रीमति राजेश्वरी पीए को कई बार फोन पर बात करने की कोशिश की तो उन्होनें मेरे फोन को नही उठाया है। मैनें मेरे गोपनीय सम्पर्क से पता करवाया तो ज्ञात हुआ कि श्री मोहनलाल एडीएम व उसकी पीए श्रीमति राजेश्वरी को एसीबी की कार्यवाही भनक लग गई है अब वह मेरे से रिश्वती राशि ग्रहण नहीं करेगे। तत्पश्चात परिवादी के बताऐ गये कथनों से उक्त ट्रेप कार्यवाही में अग्रिम कार्यवाही सम्भव नहीं होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मालखाना प्रभारी श्री गोपाल कुमार कानि0 से लिफाके में बन्द रिश्वती राशि 80,000 रूपये को मालखाना से निकालकर नोटो पर लगे फिनोफ्थलीन पाउडर को तसल्ली से साफ कर परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह को सुपूर्द कर पृथक से प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त ट्रेप कार्यवाही में अब अग्रिम सफलता नहीं मिलने से परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह को रुखस्त दी गई।

आरोपी **श्री मोहनलाल भाटी पुत्र श्री चेलाराम भाटी उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट लालराई, वाया मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली हाल अतिरिक्त निदेशक (खान) खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर–जोन जोधपुर व उनकी पीए श्रीमति राजेश्वरी गहलोत पुत्र श्री सम्पतसिंह सोलंकी उम्र 56 वर्ष निवासी 9बी, देवी सिंह का हत्था, सत्तीमाता के थान के पास, रातानाडा जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान) जोधपुर** द्वारा लोक सेवक होते हुए पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री गजेन्द्रसिंह की सनपुर (सिरोही) में स्थित खान की स्वीकृति (सेक्शन) जारी करने की ऐवज में दौराने मांग सत्यापन दिनांक 09.12.2021 को 80,000 रूपये (अक्षरे अस्सी हजार रूपये) की मांग करना अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 व 120बी भा.द.स.का अपराध कारित करना पाया गया हैं।

अतः **श्री मोहनलाल भाटी पुत्र श्री चेलाराम भाटी उम्र 59 वर्ष निवासी ग्राम व पोस्ट लालराई, वाया मुण्डारा तहसील बाली जिला पाली हाल अतिरिक्त निदेशक (खान) खान एवं भूविज्ञान विभाग, जोधपुर–जोन जोधपुर व श्रीमति राजेश्वरी गहलोत पुत्र श्री सम्पतसिंह सोलंकी उम्र 56 वर्ष निवासी 9बी, देवी सिंह का हत्था, सत्तीमाता के थान के पास, रातानाडा जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (खान) जोधपुर** द्वारा अन्तर्गत जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधन) 2018 व 120बी भा.द.स. का प्रथम दृष्टया अपराध कारित किया जाना पाये जाने से बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान की सेवामें सादर प्रेषित हैं।

भवदीय

(डा0 महावीरसिंह राणावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
जालोर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. महावीरसिंह राणावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं 120बी भादसं में अभियुक्तगण 1.श्री मोहनलाल भाटी, अतिरिक्त निदेशक (खान), खान एवं भू-विज्ञान विभाग, जोधपुर-जोन, जोधपुर एवं 2.श्रीमती राजेश्वरी गहलोत, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक(खान), जोधपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 28/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

1.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांक: 275-80 दिनांक 01.2.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक, खान एवं भू विज्ञान विभाग, उदयपुर।
5. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जालोर।

1.2.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।